

सम्पति अवभार प्रमाण - पत्र

1273

प्रमाण पत्र सं०...../2022

आवेदन सं०.....

चूंकि श्री Umraawat Devi Shrestha <sup>AD Ashutosh Ver.</sup> मेरे पास आवेदन किया है, कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण -पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में वही I में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता० 2012 से ता० 4.10.2022 की तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है:-

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निर्यादन की तारीख	(ख) दस्तावेजों का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निर्यादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Village pundaz No. 228 Ranchi Khata No. 96 plot no. 1283 Area 3.70 dec				MIL			

दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें

1-बचक -पत्र की दशा में व्याज का दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वशात कि इनके बारे में उल्लेख हो।

2-पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उर्पयुक्त संव्यवहारों और अवमारों को छोड़ा उक्त संपत्ति को प्रमावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवमार का पता नहीं चला है।

जिन व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया:-

हस्ताक्षर *AS*

(पदनाम):- 16-9-22

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

हस्ताक्षर.....

(पदनाम):-

कार्यालय S. R. O. Bank

तारीख 16-9-22



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

16-9-22

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहारों और अवमार, दिखाये गये हैं वे आवेदक का प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों की निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वेसी दस्तावेजों के प्रमाणित संव्यवहारों ( इन्डेक्स ) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(1) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधिन जो व्यक्ति बंधियों और अनक्रमणियों ( इन्डेक्स )की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा जो उनके प्रतिलिपि लेना चाहते हो, अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों अवमारों के प्रमाण -पत्र की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का मुगतान करने पर बंधियों एवं अनक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायगी।

(2) किन्तु चुकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में आपेक्षित तलाशी अपने भरसक सवधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गए तलाशी परिणाम की किसी गूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगी।

(3) और चुकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और मैं उसके द्वारा दूढ़े गए संव्यवहारों और अवमारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न दूढ़े गये ऐसे संव्यवहारों अवमार की छुट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पडता हो।

सी० 395 सी० 16-9-22 App. 4 Mr. S. R. O. Bank

50 42 Manager, I. O. Bank Ranchi

R/C.  
Shatmalhan Pathak  
24/9/22

निबंधन पदाधिकारी

शहरी क्षेत्र 3 (कांके)

16-9-22

सम्पत्ति अवभार प्रमाण - पत्र

1274  
प्रमाण पत्र सं०...../2022

आवेदन सं०.....

चूंकि श्री Umrawati Devi Sharma ने Adv. Ashutosh Verma के पास आवेदन किया है, कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण -पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गये तथ्य के अनुसार विवरण दे)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में वही I में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता० 2012 से ता० up to date की तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है:-

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निस्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेजों का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	पृष्ठ	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Village Pundag No. 228 Ranchi Khata No. 312 pl No- 1281 Area: 07 dec				NIL			

दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें

- 1-बचक -पत्र की दशा में व्याज का दर और मुगलान की अवधि दर्ज करें। बशर्त कि इनके बारे में उल्लेख हो।
- 2-पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मे यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवमारों को छोडा उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवमार का पता नही चला है।

जिन व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया:-

हस्ताक्षर *ASum*

(पदनाम):- 16-9-22

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

हस्ताक्षर.....

(पदनाम):-

कार्यालय S. R. O. Yamuna

तारीख 16-9-22



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

16-9-22

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहारों और अवमार दिखाये गये है वे आवेदक का प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्ही इन्ही संपत्तियों की निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वेसी दस्तावेजों के प्रमाणित संव्यवहारों ( इन्डेक्स ) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(1) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधिन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों ( इन्डेक्स )की प्रविष्टियों देखना चाहते हो अथवा जो उनके प्रतिलिपि लेना चाहते हो, अथवा जिन्हें निनिर्दिष्ट संपत्तियों अवमारों के प्रमाण -पत्र की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों एवं अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी।

(2) किन्तु चुकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में आपेक्षित तलाशी अपने भरसक सवधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र-में दिये गए तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगी।

(3) और चुकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और में उसके द्वारा दूढ़े गए संव्यवहारों और अवमारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न दूढ़े गये ऐसे संव्यवहारों अवमार की छुट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पडता हो।

आ. 395 सी.पी. डी. 16-9-22 By. Yamuna District Office की ओर से

श्री 4x Manager I. O. Bank Ranchi को भेजा,

R/c  
Shatrughan Pathak  
24/9/22

निबंधन पदाधिकारी

शहरी क्षेत्र 3 (कांके)

16-9-22

सम्पति अवभार प्रमाण - पत्र

1272

प्रमाण पत्र सं०...../20 22

आवेदन सं०.....

चूंकि श्री Ymravati Devi Singh Agr. Ashutosh Agr. मेरे पास आवेदन किया है, कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण -पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गये तथ्य के अनुसार विवरण दे)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में वही I में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता० 2012 से ता० up to 2012 तक की तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है:-

क्र. सं.	(क) संपत्ति का विवरण	निस्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेजों का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रकृति के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Village Pundag no- 228 Ranchi Khata no. 312 plus no. 1281 Area 06 dec				NIL			

दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें

1-बचक -पत्र की दशा में व्याज का दर और गुगतान की अवधि दर्ज करें। वशात कि इनके बारे में उल्लेख हो।

2-पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अक्कारों को छोड़ा उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अक्कार का पता नहीं चला है।

जिन व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया:-

हस्ताक्षर *A. E. M.*

(पदनाम)- 16-9-22

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

हस्ताक्षर.....

(पदनाम)-

कार्यालय S. R. O. Kanke

तारीख 16-9-22



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

16-9-22

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहारों और अक्कार दिखाये गये हैं वे आवेदक का प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों की निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वेसी दस्तावेजों के प्रमाणित संव्यवहारों ( इन्डेक्स ) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(1) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधिन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों ( इन्डेक्स ) की प्रविष्टियों देखना चाहते हो अथवा जो उनके प्रतिस्तिपि लेना चाहते हो, अथवा जिन्हें किन्हीं संपत्तियों अक्कारों के प्रमाण -पत्र की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों एवं अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी।

(2) किन्तु चुकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में आपेक्षित तलाशी अपने भरसक सवधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण -पत्र में दिये गए तलाशी परिणाम की किसी गूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगी।

(3) और चुकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और मैं उसके द्वारा दूढ़े गए संव्यवहारों और अक्कारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न दूढ़े गये ऐसे संव्यवहारों अक्कार की छुट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पडता हो।

सी० 395 दि० 16-9-22 App. M. M. Rawat Rev. का न० 30/20  
4th Manager I. O. Bank Ranch का उ० न०,

R/c  
Sheetal Khan Pathak  
24/9/22

निबंधन पदाधिकारी

शहरी क्षेत्र 3 (कांके)

16-9-22